न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमति विमलेश बनाम श्रीमति कमली व अन्य किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 19/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.05.2022	अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9, 11 उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अधिवक्तागण अप्रार्थीगण के उक्त कथन से सहमत होते हुये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज करने किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्तागण अप्रार्थीगण के उक्त कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 48/2019 वाद उनवानी कमली बनाम रामेश्वर को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थीया श्रीमति विमलेश पत्नि हरिसिंह जाति मीना निवासी ग्राम खेडा पहाडपुर तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official